बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 214453

ग्रा0वि0- 7 (आ)-16/2014

पटना, दिनांक 31/12/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सचिव,

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी ।

विषय -: मनरेगा अंतर्गत eFMS के क्रियान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 199932 दिनांक 05-09-2014 (प्रति संलग्न) ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा मनरेगा अंतर्गत eFMS के क्रियान्वयन के संबंध में निदेश दिया गया है ।

2. उक्त क्रम में सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/नामित पदाधिकारी को चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित किया जा चुका है । साथ ही सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/नामित पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया था कि वह अपने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को DSC के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित कर दें । आशा है कि तदनुसार प्रशिक्षण का कार्य किया जा चुका होगा ।

3. इस क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 10.01.2015 से सभी जिलों में (पटना जिला को छोडकर) मनरेगा अंतर्गत बैंक खातों के माध्यम से किये जाने वाले मजदूरी एवं सामग्री मद का भुगतान मनरेगा के MIS से Fund Transfer Order (FTO) को generate कर eFMS के माध्यम से ही किया जायेगा । दिनांक 01.02.2015 से मनरेगा अंतर्गत किये जाने वाले सभी प्रकार के भुगतान यथा मजदूरी, सामग्री एवं प्रशासनिक मद के भुगतान eFMS के माध्यम से ही किया जायेगा ।

4. इस क्रम में सभी जिलों (पटना जिला को छोडकर) को निदेश दिया जाता है कि eFMS प्रारंभ करने हेतु आवश्यक तैयारी कर ली जाय ताकि निर्धारित तिथि से मनरेगा अंतर्गत किये जाने वाले भुगतानों को eFMS के माध्यम से सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सचिव
30/12/14

(62)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 199932 पटना, दिनांक 05-09-2014

ग्रा0वि0- 7 (आ)-16/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सचिव,

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी ।

विषय -: **मनरेगा अंतर्गत efms के क्रियान्वयन के संबंध में ।**

प्रसंग :- **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-K-11011/2/2008-NREGA(MON)TS-NREGASoft(FTS-15628(Part-2))**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में 4 चरणों में efms के प्रारंभ करने हेतु निदेश दिया गया है । प्रथम चरण में अरवल जिले के कुर्था प्रखंड में तथा जहानाबाद जिले के जहनाबाद एवं काको प्रखंड में efms प्रांरभ किया जाना है । द्वितीय चरण में 200 प्रखंडों (प्रति संलग्न) का चयन किया गया है । तृतीय चरण में 323 प्रखंडों (प्रति संलग्न) का चयन किया गया है एवं चतुर्थ चरण में 8 प्रखंडों (प्रति संलग्न) का चयन किया गया है । वर्तमान में efms के क्रियान्वयन के अंतर्गत सभी प्रकार के भुगतान सिर्फ बैंक खातों के माध्यम से ही किया जायेगा ।

2. उक्त क्रम में कुल 26 जिलों के नोडल पदाधिकारी/नामित पदाधिकारी को चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं शेष जिलों में Digital signature Certificate (DSC) प्राप्त होने के उपरांत प्रशिक्षित किया जायेगा । तदनुसार संबंधित सभी 26 जिलों के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी का Digital signature Certificate (DSC) का Dongle हस्तगत कराया जा चुका है । संबंधित सभी 26 जिलों के नोडल पदाधिकारी/नामित पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया था कि वह अपने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रदत DSC हस्तगत करा दें तथा उनको इसके उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित कर दें । आशा है कि तदनुसार DSC हस्तगत कराते हुए प्रशिक्षण का कार्य किया जा चुका होगा । सुलभ प्रसंग हेतु Internet पर http://nrega.nic.in/Netnrega/WriteReaddata/Circulars/DBA_Manual13.pdf द्वारा संबंधित training manual को डाउनलोड किया जा सकता है ।

3. इस क्रम में efms को लागू करने हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त दिशानिर्देश दिये जाते हैं :-

क) EFMS भुगतान प्रणाली को लागू करने की जिम्मेवारी संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक की है । इस क्रम में वह इसे समुचित पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु एक नोडल पदाधिकारी नामित कर दें जो सतत रूप से इसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे ।

ख) EFMS को लागू करने हेतु जो तैयारियाँ की जानी है यथा जॉब कार्डधारी के खाता का सत्यापन एवं अद्यतिकरणी, इस क्रम में पत्रांक-186535 दिनांक 29.05.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के अलोक में सर्वप्रथम सभी active जॉब कार्डधारी के खातों का सत्यापन कराकर MIS पर अद्यतन कर दिया जाय । तदोपरांत अन्य जॉब कार्डधारियों का भी सत्यापन कर लिया जाय । इस क्रम में जॉब कार्ड सत्यापन हेतु पत्रांक-251/सी. दिनांक-08.08.2014 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में कार्रवाई मिशन मोड में की जाय ।

ग) EFMS के माध्यम से मजदूरी, सामग्री एवं प्रशासनिक मद के भुगतान किये जा सकते हैं । किंतु प्रशासनिक मद का भुगतान वर्तमान में चल रही व्यवस्था के तहत ही होगी ।

घ) सभी आपूर्तिकर्ता को इस माध्यम से भुगतान करने के लिये आवश्यक है कि उनके संबंधित खाताओं को भी प्राप्त कर कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापन कराकर तदोपरांत MIS पर निबंधित किया जाय ।

4. आप अवगत है कि इस व्यवस्था के तहत विभाग द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी को मेकर (1st Signatory) तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को चेकर (2nd Signatory) नामित किया गया है । कार्यक्रम पदाधिकारी सतत् अनुश्रवण कर निम्नलिखित कार्यों का ससमय संपादन सुनिश्चित करायेंगे :-

क) कार्य स्थल से प्राप्त ई-मस्टर रॉल में दर्ज की गई हाजरी का डाटा इंट्री ।

ख) मापी पुस्तिका का डाटा इंट्री ।

ग) MIS से वेज लिस्ट जेनरेट करना ।

घ) मनरेगा अंतर्गत क्रय किये गये सामग्रियों के अभिश्रव की डाटा इंट्री ।

ङ) सामग्री भुगतान के लिए मेटेरियल लिस्ट जेनरेट करना ।

च) वेज लिस्ट एवं मेटेरियल लिस्ट को ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदन कराना ।

5. Fund Transfer Order (FTO) को generate कराने हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी के निम्नलिखित दायित्व होगें :-

क) स्वीकृत वेज लिस्ट एवं मेटेरियल लिस्ट को PO login के option send wage list for payment के माध्यम से EFMS option का चयन करते हुए भुगतान के लिए भेजना ।

ख) नरेगा के MIS के होम पेज District Block Administration के Heading, generate FTO from PO level में generation of FTO by accountant में जाकर login करना तथा fund transfer order generate करते हुए Digital signature certificate (DSC) के माध्यम से FTO को प्रखंड विकास पदाधिकारी को भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रसारित करना । (FTO generate करने की प्रक्रिया पत्र के साथ संलग्न है ।)

ग) कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निम्न दस्तावेजों को, अभिलेख तैयार कर संधारित किया जायेगा ।

I. ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित वेज लिस्ट एवं मेटेरियल लिस्ट की प्रति ।

II. उनके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित की गई FTO की प्रति ।

III. FTO अस्वीकृत करने की स्थिति में कारणों की प्रति ।

IV. प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भुगतान के लिए स्वीकृत FTO की प्रति जिस पर कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा ।

V. MIS पर प्रदर्शित ऐसे FTO जिनका बैंक द्वारा भुगतान Process किया जा चुका है, संबंधित वित्तीय प्रतिवेदन को FTO status report से डाउनलोड कर प्रखंड स्तर पर रोकड़ बही का संधारण ।

VI. बैंक द्वारा भुगतान के लिए Process किये गये FTO का वित्तीय प्रतिवेदन संबंधित ग्राम पंचायतों को भेजना ।

6. प्रखंड विकास पदाधिकारी का चेकर के रूप में निम्नलिखित दायित्व होगें :-

क) नरेगा के MIS के होम पेज District Block Administration के Heading, generate FTO from PO level में approve and send FTO to bank by PO/BDO में जाकर login करना तथा कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित कर भेजे गये FTO को स्वीकृत करना या कारण सहित अस्वीकृत करना ।

ख) प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निम्न दस्तावेजों को, अभिलेख तैयार कर संधारित किया जायेगा

I. ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित वेज लिस्ट एवं मेटेरियल लिस्ट की प्रति ।

II. कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भुगतान के लिए अग्रसारित की FTO की प्रति जिनको प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

III. FTO अस्वीकृत करने की स्थिति में कारणों की प्रति ।

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त पत्र के आलोक में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 15.09.2014 से प्रथम चरण के तीन प्रखंड कुर्था, जहानाबाद एवं काको में मनरेगा अंतर्गत किये जाने वाले सभी प्रकार के भुगतान EFMS के माध्यम से किया जायेगा । प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जहानाबाद जिले में आयोजित बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में अरवल जिले के अन्य दो प्रखंड अरवल एवं कलेर में भी उक्त तिथि से मनरेगा अंतर्गत सभी प्रकार के भुगतान EFMS के माध्यम से किये जायेंगे । अरवल एवं जहानाबाद के नोडल पदाधिकारी को EFMS का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा इन प्रखंडों के संबंधित पदाधिकारियों का DSC भी हस्तगत करा दिया गया है ।

8. इस क्रम में सभी जिलों को निदेश दिया जाता है कि द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में पड़ने वाले संबंधित प्रखंडों में EFMS प्रारंभ करने हेतु आवश्यक तैयारी कर ली जाय ताकि भारत सरकार द्वारा दिये गये समयावधि में EFMS के माध्यम से मनरेगा अंतर्गत किये जाने वाले सभी प्रकार के भुगतानों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सचिव
5/9/14